न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :

बाबू खां पुत्र अब्दुल

जाति कसाई मुसलमान निवासी पीपलाद

बनाम

प्रतिवादीगण :

1– तहसीलदार साहब, परबतसर

2– पटवारी हल्का पीपलाद

3– मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल खां

4– याकुब मोहम्मद पुत्र अब्दुल खां

5– सलीम मोहम्मद पुत्र अब्दुल खां

6– एमना पत्नी अब्दुल खां

जाति सभी कसाई मुसलमान निवासी पीपलाद

दावा बाबत :– घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान, अधिवक्ता वादी

:– श्री शैतान सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6

:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 2021/87

निर्णय दिनांक :– 01.09.2021

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपलाद के खसरा नम्बर 1380 रकबा 3.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.9200 हैक्टर जमीन स्थित हैं उक्त कृषि भूमि में वादी का हिस्सा आया हुआ है तथा वादी का बोलतानाम गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां है जबकि वास्तविक नाम वादी का बाबू खां पुत्र अब्दुल है जबकि राजस्व रेकर्ड मे बोलतानाम गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां दर्ज हो गया जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात में बाबू खां पुत्र अब्दुल दर्ज हैं इसलिये वादी को उपरोक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करने में भारी समस्या हो रही है वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजियात में वादी का नाम गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां के स्थान पर बाबू खां पुत्र अब्दुल का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाते हुये रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही है।
2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 की ओर से एडवोकेट शैतान सिंह ने इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा वादी के वाद पत्र का समर्थन किया तथा वाद में चाही गई इस्तदुआ के अनुसार खातेदारी घोषणा कर रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एवं एतराज नही हैं, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजपैरोकार उपस्थित होकर राजहित

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

निहित नही होने से जवाब देना नही चाहे जाने पर ज़वाब बन्द किया गया ओर साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू बाबू खां उपस्थित हुआ तथा प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 8 दस्तावेजात प्रस्तुत किये ओर साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादी के वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार ग्राम पीपलाद के खसरा नम्बर 1380 रकबा 3.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.9200 हैक्टर दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार वादी का नाम गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां दर्ज हैं जिससे वादी का कथन है कि वादी का बोलतानाम गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां है वादी के समस्त दस्तावेजात में नाम बाबू खां पुत्र अब्दुल हैं। तथा वादी ही उक्त आराजियात पर काबिज है लेकिन वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी आराजियात का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है तथा वादी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैक पास बुक की की फोटो प्रति आदि अन्य सभी दस्तावेजो में वादी का नाम बाबू खां पुत्र अब्दुल दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड के सहकाश्तकारो प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से इसके समर्थन में इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है जो वादी के भाई व माता है जिन्होने ने इकबालिया जबाब पेश कर स्वीकार किया है कि वादी का सही नाम बाबू खां है घर पर प्यार से गुलाम रसूल पुकारते थे जिससे हमारे पिता व पति का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गुलाम रसूल दर्ज हो गया तथा वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं तथा गुलाम रसूल व बाबू खां एक ही व्यक्ति हैं जिससे वादी का वाद पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलाद के खसरा नम्बर 1380 रकबा 3.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.9200 हैक्टर में दर्ज गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल खां के स्थान पर बाबू खां पुत्र अब्दुल घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/9/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)